ग्राम पंचायत खरकड़ी, विकास खण्ड श्री नैणादेवी जी जिला बिलासपुर, हि. प्र. – 174310 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खरकड़ी, विकास खण्ड श्री नैणादेवी जी, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सहायक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति शकुन्तला देवी	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्री अशोक कुमार	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री सोडी राम	01.04.2015 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री प्रदीप कुमार	01.04.2015 से 04.12.2017
2	श्री नरेन्द्र कुमार	05.12.2017 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमती बीना कुमारी	01.04.2015 से 31.03.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत खरकड़ी, विकास खण्ड श्री नैणादेवी जी जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰	**पैरा सं॰**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	6	हरियाली लाभार्थी अंशदान का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं करनी	1.15
2	13	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
3	14	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	29.36
4	15	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.64
5	16	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	4.61

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत खरकड़ी, विकास खण्ड श्री नैणादेवी जी, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 01/06/2018 से 05/06/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं में दर्ज आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार माहवार अधिकतम आय व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2015–16	02/2016	03/2016
2016–17	10/2016	06/2016
2017–18	06/2017	06/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत खरकड़ी, विकास खण्ड श्री नैणा देवी जी, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त

अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/– 131 दिनांक 04/06/2018 द्वारा पंचायत सचिव खरकड़ी से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक श्री नैणादेवी जी के मल्टीसिटि चैक संख्या 712349 दिनांक 04–06–2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं की स्व–स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

(i) स्व स्त्रोत :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2015–16	24748	62942	87690	37021	50669
2016–17	50669	87130	137799	57654	80145
2017–18	80145	36081	116226	31968	84258

(ii) अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2015–16	510093	6248898	6758991	4270214	2488777
2016–17	2488777	5231038	7719815	5029881	2689934
2017–18	2689934	4213566	6903500	3967172	2936328

5 बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत खरकड़ी की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03. 2018 के ₹30,20,586 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा ₹31,35,420 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी **(परिशिष्ट–2)** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4ः– खाता ''क'' ₹84258 + खाता ''ख'' ₹2936328)	3020586

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110102567	84258
2	खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110102568	355254
3	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110101894	169
4	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110106152	1234119
5	हरियाली	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110102573	0
	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110102574	114834
6	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110101965	3438
7	राजीव/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110103021	273
8	एस. डी. पी	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110102965	73601
9	संसदीय क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110106140	2449
10	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110106139	817
11	मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110106533	179754
12	स्वच्छ भारत मिशन	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110105665	1086454
13	नरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक श्रीनैणादेवी जी	12110101134	0
14	खाता 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			0
कुल योग (ख):				**3135420**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेषः– **3020586**

जमाः–

1. हरियाली लाभार्थी अंशदान का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है इस कारण दिनांक 31.03.2018 का बैंक खाता संख्या 12110102574 के अन्तशेष ₹114834 पंचायत खातों से बाहर पाई गई है। 114834

उपरोक्त मद को जमा करने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः– **3135420**

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेषः– **3135420**

अन्तरः– **शून्य**

6 **हरियाली लाभार्थी अंशदान का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं करने के कारण ₹1.15 लाख को लेखाओं से बाहर रखने बारेः–**

ग्राम पंचायत खरकड़ी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ''हरियाली लाभार्थी अंशदान'' तथा इसकी राशि पर प्राप्त ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है। इस कारण से दिनांक 31.03.2018 को हि. रा. सह. बैंक श्री नैणादेवी जी के बचत खाता संख्या 12110102574 में जमा ₹114834 पंचायत खातों से बाहर पाई गई है। अतः इस अनियमितता के करणों बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त यथाशीघ्र इस राशि को रोकड़ बही में लेखांकन सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–**

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तेरह अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तेरह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 **लैजर खातों का रख रखाव नियमानुसार न किये जाने बारेः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना उचित तरीके से नहीं की गई है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत खरकड़ी द्वारा लैजर खातों का कोई अनुरक्षण नहीं किया गया है जो कि अनुचित है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए

बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत खरकड़ी के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 वर्गीकृत सार (Classified Abstarct) को तैयार न करना:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करना:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रू॰ में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में

नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत राजस्व की ₹0.13 लाख वसूली हेतु शेष :–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹13,370 वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में 485 परिवार, दर ₹10 प्रति परिवार प्रतिवर्षः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015–16	0.00	4850.00	4850.00	1180.00	3670.00
2016–17	3670.00	4850.00	8520.00	0.00	8520.00
2017–18	8520.00	4850.00	13370.00	0.00	13370.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

14 अनुदान ₹29.36 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक प्राप्त अनुदानों में से ₹29,36,328 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि

को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

15 **बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.64 लाख का संदिग्ध व्ययः–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों के अंकेक्षण पाया गया कि विभिन्न रोकड़ बहियों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार दर्ज ₹1,64,149 के व्यय के विरूद्ध उचित बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थेः–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
	13वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
1	07.04.2015	09	01	पत्थर	9900
2	07.04.2015	09	02	रेत, बजरी	10850
3	07.04.2015	09	03	पत्थर	13500
	14वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
4	21.02.2017	03	06	पत्थर	10000
5	21.02.2017	03	07	पत्थर	10000
6	21.02.2017	03	08	पत्थर	10000
7	29.03.2017	05	15	ईटें	10000
8	08.07.2017	09	27	पत्थर	18800
9	23.11.2017	17	31	रेत, बजरी, पत्थर व ईटें	10000
	पंचायत निधि खाता एस.डी.पी. रोकड़ बहीः–				
10	06.03.2017	05	05	रेत, बजरी	30304
11	29.03.2017	06	09	पत्थर	13200
	पंचायत निधि खाता एम.एम.ए.जी.वाई. रोकड़ बहीः–				
12	22.11.2017	46	13	रेत, बजरी ढुलवाई	17595
				कुल योग	**164149**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॅार्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर **(covering voucher proforma)** के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता

की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–132 दिनांकः 04/06/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.61 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹4,60,556 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क' रोकड़ बहीः–				
1	06.07.2016	38	05	लेखन सामग्री	10468
2	09.08.2016	39	08	सूचना पट/बोर्ड पेन्टिग कार्य	16600
	13वॉं वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
3	07.04.2015	09	01	पत्थर	9900
4	07.04.2015	09	02	रेत, बजरी	10850
5	07.04.2015	09	03	पत्थर	13500
6	09.4.2015	10	05	रेत, बजरी	13500
7	29.05.2015	13	12	रेत, बजरी	20810
	14वॉं वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
10	21.02.2017	03	06	पत्थर	10000
11	21.02.2017	03	07	पत्थर	10000

12	21.02.2017	03	08	पत्थर	10000
13	29.03.2017	05	15	ईटें	10000
14	08.05.2017	08	01	रेत, बजरी, पत्थर	13500
15	08.05.2017	08	02	रेत, बजरी, पत्थर व ईटें	15000
16	08.07.2017	09	27	पत्थर	18800
17	10.08.2017	12	14	सरिया, पाईप	9376
18	02.11.2017	15	21	ईटें	23940
19	23.11.2017	17	31	रेत, बजरी, पत्थर व ईटें	10000
21	15.12.2017	18	33	प्रिन्टर	15698
	पंचायत निधि खाता एम.पी.आर एस. रोकड़ बही:–				
22	09.03.2017	20	1	जे सी बी से खुदाई कार्य	29400
23	09.03.2017	20	2	जे सी बी से खुदाई कार्य	17400
	पंचायत निधि खाता एस.डी.पी. रोकड़ बही:–				
24	06.03.2017	05	03	सरिया	22015
25	06.03.2017	05	05	रेत, बजरी	30304
26	29.03.2017	06	09	पत्थर	13200
	पंचायत निधि खाता एम.एम.ए.जी.वाई. रोकड़ बही:–				
27	02.11.2017	45	07	रेत, बजरी	50872
28	02.11.2017	45	07	पत्थर	31882
29	02.11.2017	45	07	रेत, बजरी, पत्थर	23541
				कुल योग:–	**460556**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर प्रकरणों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–132 दिनांक: 04/06/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विषेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः—

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत खरकड़ी द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत

अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत खरकड़ी में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

20 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि॰ प्र॰ लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत खरकड़ी द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए निम्न मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः–

क्र	दिनांक	मस्ट्रौल क्रमांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	राशि (₹)
	13वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
1	06.05.2015	1	12	09	41933
2	23.06.2015	...	14	13	31350
3	06.10..2015	2	17	02	19800

	14वाँ वित्तायोग रोकड़ बही:–				
4	05.08.2017	19307	11	10	37140
5	05.08.2017	19308	11	11	16510
6	09.08.2017	19309	11	12	34000
7	09.08.2017	19310	11	13	37400
	पंचायत निधि खाता एम.पी.आर एस. रोकड़ बही:–				
8	22.03.2017	1	21	3	70600
9	22.03.2017	4	21	4	35300
	पंचायत निधि खाता एस.डी.पी. रोकड़ बही:–				
10	22.03.2017	19302	06	06	45048
	पंचायत निधि खाता वी.के.वी.एन.वाई. रोकड़ बही:–				
11	22.03.2017	02	31	02	35300
	पंचायत निधि खाता एम.एम.ए.जी.वाई. रोकड़ बही:–				
12	08.12.2017	19316	48	20	16560
13	08.12.2017	19317	48	21	31050

2. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

3. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

4. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः–

पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम• ए• एस• (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु जांच में पाए गए कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह तरीका किन लेखांकन नियमों अथवा किसके तथा किन आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	रो.ब.पृ.	दिनांक	वाउचर सं.	बोरियां	प्रति बोरी मूल्य	कुल लागत
	14वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–					
1	02	07.01.17	01	40	246.45	9858
2	02	07.01.17	02	40	246.45	9858
3	02	07.01.17	03	40	246.45	9858
4	02	07.01.17	04	20	246.45	4929
5	04	17.03.17	9 से 12	205	246.45	50522
6	15	27.10.17	20	23	259	5957
7	18	14.12.17	32	40	259	10360
	पंचायत निधि खाता एस.डी.पी. रोकड़ बहीः–					
8	04	07.01.17	01	60	246.45	14787
9	04	07.01.17	02	60	246.45	14787
	पंचायत निधि खाता एम.एम.ए.जी.वाई. रोकड़ बहीः–					
10	43	25.08.17	1 से 3	142	253	35926
11	44	18.09.17	4 से 6	160	253	40480
12	49	14.12.17	23 से 25	140	259	36260
					कुल योगः	**243582**

22 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

पंचायत सचिव़ तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

2. मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹27,83,948 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''3''** के अनुसार 12884 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का सम्पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर आधा अधूरा अभिलेखन ही किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट–ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी मूल्यांकन का विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। जिससे यह स्पष्टतयः सिद्ध होता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के लिए ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी'' तैयार नहीं की गई हैं। जबकि यह विवरणी नियमानुसार कार्य प्रमात्रा के आधार पर आवश्यक सामग्री तथा वास्तविक उपभोग की गई सामग्री की जांच हेतु अति आवश्यक है। इसके अभाव में निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच में दिक्कत आई है तथा समय की अनावश्यक बर्बादी हुई है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्राविधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग

अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) मदों के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत खरकड़ी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी मद के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

25 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

26 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त	31	95(1)

	तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर		
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——
12	पंचायत प्रतिनिधियों तथा सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय／वेतन का रजिस्टर	——	——

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

28 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता／—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii) 29／2018 खण्ड—1—5343—5346 दिनांक—07.08. 2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ／आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत खरकड़ीं, विकास खण्ड श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

हस्ता／—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046